कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 07868 –241222 (नि.) 222288, फैक्स (का.) 241801 (नि.) 222960

–:: संशोधित आदेश ::–

क्रमांक/कले/SW/2020/1298 कांकेर, दिनांक 11 अगस्त, 2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने चेम्बर ऑफ कॉमर्स, कांकेर द्वारा कांकेर शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों को प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक तथा होटल, रेस्टोरेंट, ठेले, पान दुकान को प्रातः 07.00 बजे से 09.00 बजे तक संचालित किए जाने प्रस्ताव दिया गया है।

प्रस्ताव के आधार पर पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक/कले./SW/2020/1252 कांकेर, दिनांक 29 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए कांकेर शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों को दिनांक 12 अगस्त, 2020 से आगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार संचालन की अनुमति दी जाती है:–

2/ **मेडिकल स्टोर्स/पैथालॉजी लैब/गैस एजेंसी/पेट्रोल पंप/दुग्ध दुकान/फल दुकान** (समय–सीमा के बंधन से मुक्त रखते हुए संचालन की अनुमति)

3/ समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान/दुकान **(प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक)**

4/ होटल/रेस्टोरेंट/ ठेले (गुपचुप, चाट, नाश्ता)/पान दुकान **(प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक)**

5/ कांकेर शहर में आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों– **मेडिकल स्टोर्स/पैथालॉजी लैब/गैस एजेंसी/पेट्रोल पंप/दुग्ध दुकान/फल दुकान** को छोड़कर शेष सभी प्रतिष्ठान/दुकान सप्ताह में एक दिन **मंगलवार को बंद रहेंगी।**

6/ कांकेर शहर के सप्ताहिक बाजार में केवल सब्जी के विक्रय की अनुमति होगी। अन्य वस्तुओं के विक्रय की अनुमति नहीं होगी।

संचालन हेंतु अनुमति प्राप्त प्रतिष्ठान/दुकान में बिना मास्क लगाए समग्री का विक्रय नहीं किया जावेगा एवं बिना मास्क लगाए ग्राहकों को सामग्री नहीं दिया जावेगा। प्रतिष्ठान/दुकान संचालकों को सोशल/फिजीकल डिस्टेसिंग के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा एवं नावेल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव हेतु शासन एवं इस कार्यालय से पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शर्ते यथावत् रहेगी।

टीपः– **उपरोक्त आदेश का उल्लघंन किए जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 (1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड–19 विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।**

(के. एल. चौहान)
कलेक्टर 11/8
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

"गढ़बो नवा छत्तीसगढ़"

Scanned with CamScanner

पृ. क्रमांक / कले / SW/2020 / 1298-A कांकेर, दिनांक 11 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
3. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज कांकेर।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.), कांकेर।
8. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), कांकेर ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
10. उप संचालक, जनसंपर्क, कांकेर को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
11. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी कांकेर।
12. थाना प्रभारी, कांकेर ।
13. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद कांकेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
14. अध्यक्ष चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

11/8

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

"गढ़बो नवा छत्तीसगढ़"

Scanned with CamScanner